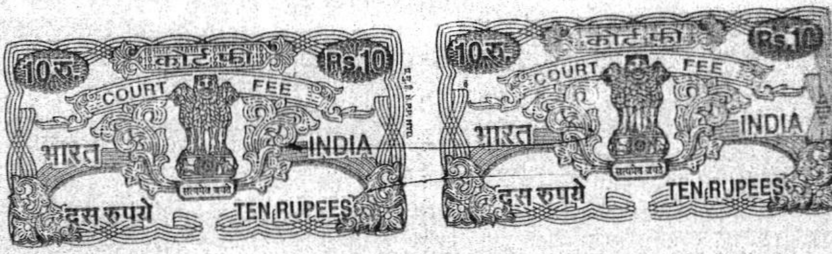

(88)

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल- ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

प्र० क्र० ।२०१८।पुनरीक्षण याचिका

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/0271

१- रामकिशन पुत्र स्व० श्री नैनसुख मार्य,
२- नेतराम पुत्र श्री छीतरिया,
निवासीगण- ग्राम सैथरी तहसील व जिला - ग्वालियर (म०प्र०) हाल निवास - नदीपार टाल मुरार ग्वालियर (म०प्र०) । --- आवेदकगण

बनाम

१- गुलाब सिंह पुत्र श्री जबर सिंह
२- श्रीबाई पत्नी श्री गुलाब सिंह
निवासीगण- ग्राम सैथरी परगना व जिला - ग्वालियर, हाल निवास- आदर्श नगर पिन्टोपार्क मुरार, ग्वालियर (म०प्र०) -- अनावेदकगण

दिनांक 9-1-18 को श्री रणवीर सिंह [illegible] द्वारा प्रस्तुत।
[illegible] 9-1-18
पेशी दिनांक 7-2-18
[illegible]

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू- राजस्व संहिता १९५९ अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार सिटी जिला - ग्वालियर द्वारा निर्णीत अन्तरिम आदेश दिनांक २६-१२-२०१७ प्रकरण क्रमांक ४८।२०१६-१७।अपील उनवान गुलाब सिंह आदि बनाम रामकिशन आदि, से व्यथित होकर के ।

[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर / निगरानी / ग्वालियर / भूरा / 2018 / 0271

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.1.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह उपस्थित । अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार सिटी जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2017 का अवलोकन किया गया । आवेदक जो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण में अनावेदक था, के द्वारा आपत्ति ली गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा –5 के आवेदन पर बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण में धारा 5 के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित करें । इस न्यायालय में यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । **अध्यक्ष**	